फरीदाबाद
मजदूर समाचार

राहें तलाशने - बनाने के लिए मजदूरों के अनुभवों व विचारों के आदान-प्रदान के जरियों में एक जरिया

नई सीरीज नम्बर 172 · अक्टूबर 2002

हत्या

फैक्ट्री में उत्पादन हो रहा है। दस महीनों से तनखायें नहीं दी हैं। नूकेम मशीन टूल्स लिमिटेड के मजदूर श्री मदन लाल की 19 सितम्बर को मृत्यु हो गई।

तृतीय इति झालानी टूल्स

कम्पनी का अपने एक और अखाड़े में खेल-खिलवाड़ खत्म हो गया। कम्पनी के अनेक हथकण्डों के बावजूद 30 सितम्बर को दिल्ली हाई कोर्ट की कम्पनी मामलों की बैन्च के सम्मुख झालानी टूल्स इण्डिया लिमिटेड को वाइन्ड-अप करने, समाप्त करने पर बहस खत्म हो गई।

हमारे विचार से, गेडोर-झालानी टूल्स के घटनाक्रम पर विभिन्न पहलूओं से व्यापक चर्चायें नई राहों की तलाश में चल रहे मन्थन में काफी सहायक होंगी। आरम्भ के लिये यहाँ कुछ बातें हम बहुत संक्षेप में दे रहे हैं।

सीधी-सपाट

कम्पनी की भारत में 6 फैक्ट्रियाँ — 3 फरीदाबाद में और एक-एक कुण्डली, औरंगाबाद, जालना में। मण्डी के भँवर में 1980 में कम्पनी डगमगाई। साहबों का इलाज : आटोमेशन और छँटनी। कार्यरत 7300 मजदूरों में से 1984-85 के दौरान 2300 निकाले गये — फरीदाबाद में मारपीट कर 1500 मजदूर निकालने में यूनियन ने बढ-चढ कर हिस्सा लिया।

जायजा : कम्पनी नहीं चल सकती। गेडोर ने अपना हिसाब कर लिया। नाम बदल कर झालानी टूल्स और सूत्र बना — मुर्गी ने अण्डे देने बन्द कर दिये तो क्या, मुर्गी को काट खाओ।

बी.आई.एफ.आर. ने 1987 में झालानी टूल्स को बीमार घोषित किया। बी.आई.एफ.आर. की छत्रछाया में मजदूरों और अन्य को काट-काट कर खाने का सिलसिला चला। कम्पनी को स्वस्थ करने की 1988 में पास की स्कीम 1991 में फेल घोषित और 1992 की दूसरी स्कीम भी बी.आई.एफ.आर. ने 1995 में फेल घोषित की। फिर बिना किसी स्कीम के 5 साल, 2000 तक लूट।

बी.आई.एफ. आर. की देखरेख में झालानी मैनेजमेन्ट, बैंक अधिकारी, यूनियन लीडर और सरकारी अफसरों की खिचड़ी पकती रही। बैंकों, पी.एफ. तथा ई.एस.आई. आदि सरकारी विभागों और खासकर के मजदूरों को लूटा गया। कम्पनी की सम्पत्ति 42 करोड़ रुपये और देनदारी 300 करोड़ रुपये की हो गई।

मैनेजमेन्ट-यूनियन समझौते ने मजदूरों के 8 घण्टे काम को 4 घण्टे का काम घोषित किया। सर्विस-ग्रेच्युटी खाते को खाली कर दिया गया। प्रोविडेन्ट फण्ड 1994 से जमा करना बन्द कर दिया। तनखायें 1996 से बकाया। मजदूरों को दहशत में रखने के लिये यूनियनों की गुण्डागर्दी और बढा-चढा कर उनकी गुण्डागर्दी के किस्से फैलाये गये। और, अपने-अपने चक्कर में पड़ कर मजदूरों का चालाकी की दलदल में धँसते जाना।

फरीदाबाद प्लान्टों में मजदूरों की 42 महीनों की और स्टाफ की 55 महीनों की तनखायों नहीं दी हैं। कम्पनी ने 1996 से रिटायर, मृत और इस्तीफे देने वाले मजदूरों को ग्रेच्युटी तक के पैसे नहीं दिये हैं। चार हजार मजदूर अब झालानी टूल्स से 160 करोड़ रुपयों के लेनदार हैं।

उँगली पर कँकड़

जुलाई 2000 में बी.आई.एफ.आर. की सुनवाई के दौरान यह चन्द मजदूरों का हस्तक्षेप था कि बी.आई.एफ.आर. को झालानी टूल्स को वाइन्ड-अप करने, समाप्त करने का निर्णय सुनाना पड़ा।

झालानी मैनेजमेन्ट अपील में गई। विरोध में खड़े हुये मजदूरों की सँख्या बढी। फिर भी, यह कुछ ही मजदूर थे जिनके हस्तक्षेप की वजह से ए.ए.आई. एफ.आर. को मार्च 2001 में मैनेजमेन्ट की अपील खारिज करनी पड़ी।

नीलामकर्ता की नियुक्ति के लिये बी.आई.एफ.आर. ने सन् 2000 में ही मामला दिल्ली हाई कोर्ट भेज दिया था।

कठपुतलियों के नाच

दिल्ली हाई कोर्ट में नीलामी की कार्रवाई रुकवाने के लिये सीटू यूनियन लीडर अन्ना सावंत ने बम्बई हाई कोर्ट की औरंगाबाद बैन्च से बी.आई.एफ.आर. के निर्णय पर स्टे ले लिया। सात महीने बीते। मजबूर हो कर मजदूरों की वकील को औरंगाबाद जाना पड़ा। पहली सुनवाई, 27 जून 02 को ही साफ हो गया कि मामला बम्बई हाई कोर्ट में दाखिल करने लायक ही नहीं था, स्टे तो बहुत दूर की बात थी। झालानी मैनेजमेन्ट के पट्ठे के वकील ने गलती मान कर केस उठा लिया। और.... और दिल्ली हाई कोर्ट में दो जज बैन्च के सम्मुख नये सिरे से उसी केस को डाल दिया पर स्टे नहीं मिला।

झालानी टूल्स के मामलों को हाई कोर्ट से बाहर निपटाने के लिये दिल्ली शिव सेना के महासचिव ने वकील श्री अनिल नौरिया को फोन कर धमकी दी। मजदूरों की वकील सुश्री नीरू वैद्य को एक्सीडेन्ट करवाने की धमकी दी गई। कम्पनी के वकील धीर एण्ड धीर रो-धो कर कम्पनी की वकालत से हट गये।

फिर भी आखिरकार 30 सितम्बर को दिल्ली हाई कोर्ट की कम्पनी मामलों की बैन्च के सम्मुख बी.आई.एफ.आर. के कम्पनी वाइन्ड-अप निर्णय पर बहस शुरू हो गई। कम्पनी का खेल-खिलवाड़ खत्म होता देख हैड आफिस में सीनियर मैनेजर ए.एन. सेठ हड़बड़ाहट में भरी अदालत के बीचोंबीच पहुँच कर यूनियन के प्रतिनिधि वकील मखीजा और वकील मिश्रा को निर्देश देने लगा। इस पर जज सेन ने कहा कि मजदूरों के नहीं हैं बल्कि यह यूनियन वकील तो कम्पनी की कठपुतलियाँ हैं। बात सम्भालने के लिये कम्पनी के शिरोमणि वकील लूथरा ने जनतन्त्र और बहुमत-अल्पमत पर जो भाषण शुरू किया वह आरम्भ में ही फुस्स हो गया।

जज ने बहस खत्म की घोषणा कर दी।■

दुभान्त

गुडईयर टायर मजदूर : "फैक्ट्री में काम बहुत गन्दा है। नहा कर ही सब वरकर बाहर निकलते हैं। ठेकेदारों के जरिये रखे हम मजदूरों को कम्पनी साबुन नहीं देती जबकि अन्य वरकरों को नहाने के साबुन की दो बट्टी प्रतिमाह देती है। परमानेन्ट वरकरों और स्टाफ की कैन्टीन से अलग कैन्टीन कैजुअलों व ठेकेदारों के जरिये रखे वरकरों के लिये बनाई है। कैजुअलों द्वारा खाना खा लेने के बाद हमें भोजन देते हैं। हमारा भोजन परमानेन्ट वरकरों के भोजन से घटिया होता है और हम से पैसे उनसे दुगने लेते हैं।"

क्लच आटो वरकर : "अगस्त माह का वेतन कम्पनी ने परमानेन्टों को 9 सितम्बर को देना शुरू किया पर हम कैजुअल वरकरों को 17 सितम्बर को दिया।"

कानून हैं शोषण के लिये और छूट है कानून से परे शोषण की

कानून हैं – ●साप्ताहिक छुट्टी के बाद हरियाणा में हैल्पर को इस समय महीने की कम से कम तनखा 2133 रुपये 16 पैसे , अर्ध-कुशल (क) को 2243 रुपये 16 पैसे , अर्ध-कुशल (ख) को 2393 रुपये 16 पैसे , उच्च कुशल मजदूर को 2693 रुपये 16 पैसे कम से कम ; ●जहाँ एक हजार से कम मजदूर हैं वहाँ वेतन 7 तारीख से पहले और जिस कम्पनी में हजार से ज्यादा हैं वहाँ 10 तारीख से पहले ; ●स्थाई काम के लिये स्थाई मजदूर , आठ महीने लगातार काम करने पर परमानेन्ट ; ●ओवर टाइम समेत एक हफ्ते में 60 घण्टों से ज्यादा काम नहीं लेना , तीन महीनों में 75 घण्टों से ज्यादा ओवर टाइम काम नहीं , ओवर टाइम के लिये पेमेन्ट डबल रेट से ; ●फैक्ट्री शुरु होने के पहले दिन से प्रोविडेन्ट फण्ड , मजदूर के वेतन (बेसिक व डी.ए.) से 10 प्रतिशत काटना और 10 प्रतिशत कम्पनी ने देना , हर महीने 15 तारीख से पहले यह 20 प्रतिशत राशि मजदूर के भविष्य निधि खाते में जमा करना ; ●फैक्ट्री में एक घण्टे की ड्युटी पर भी ई.एस.आई. ; ●कैजुअल व ठेकेदारों के जरिये रखे मजदूरों को भी 20 दिन पर एक दिन की अर्न्ड छुट्टी तथा त्यौहारी छुट्टियाँ; ●परमानेन्ट-कैजुअल-ठेकेदार के ज़रिये रखे मजदूरों को एक जैसे काम के लिये समान , बराबर वेतन ;● ....

ए.सी.टी.एल. मजदूर : " सैक्टर-59 स्थित इस कन्टेनर डिपो में 70 वरकर कम्पनी ने स्वयं रखे हैं और 200 वरकर 4-5 ठेकेदारों के जरिये रखे हैं। पेमेन्ट पीस रेट से है। ई.एस.आई. कार्ड नहीं दिये हैं , प्रोविडेन्ट फण्ड भी नहीं है। ओवर टाइम की पेमेन्ट एक तो सिंगल रेट से देते हैं और उन पैसों में से भी आधे रख लेते हैं – बोलने पर धमकाते हैं। कैन्टीन में मार्केट रेट पर देते हैं।"

खण्डेलवाल इण्डिया लिमिटेड वरकर : " प्लॉट 68 सैक्टर-6 स्थित फैक्ट्री में हम 52 मजदूर काम करते हैं। हर रोज 12 घण्टे की ड्युटी है। किसी भी मजदूर को ई.एस.आई. कार्ड नहीं दिया है। प्रोविडेन्ट फण्ड भी किसी का नहीं है। हैल्परों को 1200 रुपये और ऑपरेटरों को 1600-1800 रुपये महीना तनखा देते हैं। श्रम विभाग में हम ने शिकायतें की हैं , कई तारीखें पड़ी हैं पर अभी तक कम्पनी किसी तारीख पर नहीं गई है।"

युनीक ट्रान्समिशन वरकर : " प्लॉट 301 सैक्टर-24 स्थित फैक्ट्री में भर्ती के समय कह देते हैं कि प्रतिदिन 12 घण्टे काम करना होगा – सुबह साढे आठ से रात 9 बजे तक। जब अरजेन्ट आर्डर आता है तब तीन-चार दिन लगातार 24 घण्टे काम करवाते हैं – 18 रुपये रात के और 18 रुपये दिन के खाने के तब कम्पनी देती है। ओवर टाइम के पैसे सिंगल रेट से देते हैं। फैक्ट्री में 5 परमानेन्ट वरकर हैं और 75 वरकर ठेकेदार के जरिये रखे गये हैं – ठेकेदार हिन्दुस्तान इन्डस्ट्रीयल सेक्युरिटी सर्विसेज है। ठेकेदार के जरिये रखे मजदूरों की तनखा 1300 रुपये महीना है – 12 घण्टे की 2100 रुपये और इन 2100 में से ई.एस.आई. तथा प्रोविडेन्ट फण्ड के पैसे काटते हैं। एक्सीडेन्ट होने पर सिर्फ दो दिन पट्टी करवा कर नौकरी से निकाल देते हैं।"

आटोपिन मजदूर : " 16 इन्डस्ट्रीयल एरिया स्थित फैक्ट्री में मजदूरों की तीन-चार महीनों की तनखायें कम्पनी रोक लेती थी पर स्टाफ को हर महीने दे देती थी। इधर स्टाफ की भी जुलाई और अगस्त की तनखायें आज 18 सितम्बर तक नहीं दी हैं। आधे मजदूरों को तो अभी मई की तनखा भी नहीं दी है। "

पावर इन्टरनेशनल वरकर : " कारखाना बाग , कैरी मोड़ स्थित फैक्ट्री में ई.एस.आई. और प्रोविडेन्ट फण्ड लागू नहीं हैं। अधिकारियों के छापे से ऐन पहले मजदूरों को फैक्ट्री से हटा देते हैं – यह अब दूसरी बार हुआ है।"

मेल्को प्रिसिजन मजदूर : " प्लॉट 4 सैक्टर-27 ए स्थित फैक्ट्री में अगस्त की तनखा हमें आज 24 सितम्बर तक नहीं दी है। कम्पनी ने हमारे प्रोविडेन्ट फण्ड के पैसे भी 4 साल से जमा नहीं किये हैं।"

इन्डीकेशन वरकर : " सैक्टर-6 स्थित फैक्ट्री में 175 परमानेन्ट और 400 कैजुअल वरकर हैं। किसी भी कैजुअल को ई.एस.आई. कार्ड नहीं, प्रोविडेन्ट फण्ड की पर्ची भी नहीं।"

नोर ब्रेम्से मजदूर : " मथुरा रोड़ स्थित फैक्ट्री में 12-12 घण्टे की दो शिफ्ट हैं। ओवर टाइम काम के पैसे कम्पनी सिंगल रेट से देती है। कैन्टीन को खत्म कर दिया। काम के दौरान कोई औजार टूट जाने पर बाहर कर देते हैं।"

कल्पना फोरजिंग वरकर : " प्लॉट 35 सैक्टर-6 स्थित फैक्ट्री में हैल्परों की भर्ती के समय बोलते हैं कि 1800-1900 रुपये तनखा देंगे पर देते 1500-1600 ही हैं। ई.एस.आई. कार्ड नहीं देते , प्रोविडेन्ट फण्ड भी नहीं। हर रोज 4 घण्टे ओवर टाइम , पेमेन्ट सिंगल रेट से। फैक्ट्री में करीब 350 मजदूर हैं।"

पी.पी. इंजिनियरिंग मजदूर : " डी एल एफ एरिया स्थित फैक्ट्री में हैल्परों को 1600 रुपये महीना देते हैं। किसी भी कैजुअल वरकर को ई.एस.आई. कार्ड नहीं , पी.एफ. की पर्ची नहीं। बरसों से काम कर रहे भी कैजुअल हैं।"

भारत इंजिनियरिंग कारपोरेशन वरकर : " महिला मजदूरों को 1200-1300 रुपये और पुरुष हैल्परों को 1400 रुपये तनखा देते हैं। फैक्ट्री में किसी भी मजदूर को ई.एस.आई. कार्ड नहीं , पी.एफ. नहीं।"

नूकेम मशीन टूल्स मजदूर : " मथुरा रोड़ स्थित फैक्ट्री में अब कोई कैजुअल अथवा ठेकेदारों के जरिये रखा वरकर नहीं है – हम 60 परमानेन्ट मजदूर यहाँ फँसे हैं। फैक्ट्री में उत्पादन दनादन हो रहा है लेकिन दिसम्बर 01 की तनखा भी आज 24 सितम्बर तक हमें नहीं दी है। पहले ही हमारी 5 महीनों की तनखायें विवाद का विषय बना कर नहीं दी और इधर इन 10 महीनों की तनखायें कम्पनी ने नहीं दी हैं। श्रम विभाग , अदालत , वकील की बात मत कीजिये ! क्या कहें , हम 60 में से भी 8 कम्पनी की गोद में हैं।"

एजीको वरकर : " इन्डस्ट्रीयल एरिया स्थित फैक्ट्री में अगस्त का वेतन आज 18 सितम्बर तक नहीं दिया है – जुलाई की तनखा 30 अगस्त को जा कर दी थी।"

बी पी एल-सेवा इन्टरनेशनल मजदूर : " इन दोनों प्लान्टों में 800 वरकर काम करते हैं और वेतन हमेशा देरी से – 18 तारीख से पहले तो देते ही नहीं। ड्युटी हर रोज 12 घण्टे की और हैल्परों को इसके बदले में 1800 रुपये महीना। ऑपरेटरों को 12 घण्टे ड्युटी प्रतिदिन के महीने में 2000-2200 रुपये। कम्पनी में 40 ठेकेदार हैं। किसी भी मजदूर को ई.एस.आई. कार्ड नहीं, फण्ड की पर्ची नहीं।"

जुलाई माह से मजदूरों को देय महँगाई भत्ते की राशि की जानकारी श्रम विभाग में 3 अक्टूबर तक नहीं।

इण्डिया फोर्ज वरकर : " प्लॉट 28 सैक्टर-6 स्थित फैक्ट्री में बरसों से काम कर रहे मजदूरों को ई.एस.आई. कार्ड नहीं दिये हैं , प्रोविडेन्ट फण्ड भी नहीं है। कम्पनी ने ज्यादातर मजदूर दो ठेकेदारों के जरिये रखे हैं और वो जब चाहें वरकर को बाहर कर देते हैं। उनके खिलाफ मजदूर जब बोलते हैं तब वे गुण्डे बुला कर धमकाते हैं। कम्पनी ऐसा दिखावा करती है जैसे उसे कुछ पता ही नहीं हो। हर तरफ से अन्याय ही अन्याय हो रहा है। हैल्परों को 1200 रुपये महीना तनखा देते हैं। हर रोज 4 घण्टे ओवर टाइम काम करना अनिवार्य बना रखा है और ओवर टाइम की पेमेन्ट सिंगल रेट से।"

फर आटो मजदूर : " मथुरा रोड़ स्थित फैक्ट्री की बिजली दिसम्बर 01 से कटी है और जनरेटर से काम चलाते हैं। मार्च माह से कम्पनी ने हमें वेतन नहीं दिया है। वादे अनुसार बकाया बोनस भी नहीं दिया है। तीन साल से हमारे प्रोविडेन्ट फण्ड के पैसे जमा नहीं किये हैं। महीने में 3 किलो साबुन देते थे , 8 महीनों से नहीं दिया है। चेयरमैन कहता है कि सब देंगे, सब देंगे।"

यू.के. इंजिनियरिंग वरकर : " 16/2 डी.एल.एफ. एरिया स्थित फैक्ट्री में हैल्परों को 1200-1400 और ऑपरेटरों को 1500-1600 रुपये महीना देते हैं। फैक्ट्री में परमानेन्ट मजदूर कोई नहीं है और ज्यादातर वरकरों को ई.एस.आई. कार्ड नहीं दिये हैं , पी.एफ. नहीं।"

....कुछ फुरसत में ....

शिवालिक ग्लोबल मजदूर : " सराय के पास मथुरा रोड़ पर स्थित। फैक्ट्री में कुल वरकर तीन हजार के करीब हैं। सब मजदूरों को 1642 रुपये महीना तनखा है और इन 1642 में से ई.एस.आई. तथा प्रोविडेन्ट फण्ड के पैसे काट कर तीसों दिन काम की तनखा के तौर पर 1400 रुपये पकड़ाते हैं। फैक्ट्री में 12-12 घण्टे की दो शिफ्ट हैं — 4 घण्टे ओवर टाइम के पैसे सिंगल रेट से। कहने को साप्ताहिक छुट्टी है पर रविवार को भी 12 घण्टे ड्युटी जरूरी है और नहीं आने पर निकालने की धमकी।

"अफसरों की बोली ऐसी है कि दिमाग खराब कर देती है। शिवालिक ग्लोबल की रोटरी डिपार्ट में सुपरवाइजर संजय व अजय और प्रिन्टिंग मास्टर रवि भाटिया तो कुछ ज्यादा ही उल्टा-सीधा बोलते हैं। इस मशीन से उस मशीन पर दौड़ते हैं, एक मशीन पर काम नहीं करने देते। कभी रोटरी, कभी कलर रूम, कभी रोला लाओ, कभी लुपंजर.... अलग-अलग टाइप की मशीन। हाथ सैट होने में समय लगता है। जल्दी-जल्दी बदलने से चोट लगने का खतरा बढता है और मना करो तो नौकरी से निकाल देते हैं। दो-तीन पुराने मजदूरों को रोज निकाल देते हैं।

"कम्पनी ई.एस.आई. कार्ड नहीं देती। दवा के पैसे भी नहीं देती। चोट लगने पर टाइम आफिस वाले कहते हैं कि उस मशीन पर क्यों गया, भर्ती फलाँ जगह के लिये है। रोटरी मशीन हाथ खींच लेती है — अगस्त में 3 नम्बर लक्ष्मी रोटरी मशीन ने एक ऑपरेटर का हाथ खींच लिया था। हाथ बुरी तरह कुचला गया। ई.एस.आई. नहीं ले गये, एस्कोर्ट्स मेडिकल ले गये। उँगली-अँगूठा कटते रहते हैं — मजदूर को कोई मुआवजा तक नहीं।

"12 घण्टे ड्युटी के बाद किसी वरकर को फिर 12 घण्टे रोकते हैं तो उसे कैन्टीन की इतनी छोटी-छोटी 6 रोटी देते हैं कि पेट नहीं भरता। कम्पनी 12+12+12=36 घण्टे लगातार काम के लिये बस 6 रोटी देती है (तीसरे 12 घण्टे अपनी अगली ड्युटी के हैं।)

"नियम बना दिया है कि पानी कैन्टीन में ही पीओ — अन्य स्थानों के नलके बन्द कर दिये हैं। रात को 12 बजे कैन्टीन बन्द कर देते हैं, बिना पानी रहो। साहबों को शीतल बन्द पानी है।

"शिवालिक ग्लोबल में अगस्त की तनखा वरकरों को 18 सितम्बर को और स्टाफ को 22 सितम्बर को जा कर दी।"

ब्रॉन लेबोरेट्री वरकर : " 13 इन्डस्ट्रीयल एरिया स्थित फैक्ट्री में अगस्त का वेतन हमें आज 17 सितम्बर तक नहीं दिया है। कम्पनी में हर रोज 10 घण्टे ड्युटी तो सामान्य है — आजकल लड़कियों को सुबह साढे छह बजे बुला लेते हैं और रात 7 बजे तक काम करवाते हैं जबकि लड़कों का तो कोई टाइम ही नहीं है, 36 घण्टे लगातार काम करने तक के लिये मजबूर करते हैं। ओवर टाइम के पैसे सिंगल रेट से और वह भी दो महीने बाद। फैक्ट्री में 30-35 परमानेन्ट तथा 300 कैजुअल वरकर हैं पर कैन्टीन नहीं है और कम्पनी एक कप चाय तक नहीं देती। कैजुअल वरकरों से मशीनें चलवाते हैं, काम ऑपरेटर का करवाते हैं पर वेतन हैल्पर के रेट से देते हैं। सुपरवाइजर और मैनेजर तू-तड़ाक से बोलते हैं। रात की शिफ्ट हफ्ते बाद नहीं बदलते, पूरे महीने नाइट करवाते हैं।"

विक्टोरा टूल्स इंजिनियर्स मजदूर : "प्लॉट 46 सैक्टर-25 स्थित फैक्ट्री में एक शिफ्ट है — 12 घण्टे तो प्रतिदिन काम करना ही पड़ता है, 14-16 घण्टे भी रोक लेते हैं। हर रविवार को भी 12 घण्टे ड्युटी। ओवर टाइम के पैसे सिंगल रेट से।

" फैक्ट्री में पावर प्रेस का बहुत काम है। एक्सीडेन्ट का हर समय डर रहता है। उँगलियाँ बहुत कटती हैं — एक दिन तो तीन मजदूरों की उँगलियाँ कटी। कम्पनी रोल पर 210 हैं और वैल्डिंग डिपार्ट के सब 50 मजदूर ठेकेदार के जरिये रखे हैं लेकिन फैक्ट्री में ई.एस.आई. कार्ड 35-40 को ही दिये हैं और इनमें 25-30 तो एक्सीडेन्ट वाले हैं।

"फैक्ट्री में एक्सीडेन्ट होने पर बल्लभगढ़ में भाटिया नर्सिंग होम ले जाते हैं और फिर दूसरे-तीसरे दिन ई.एस.आई. अस्पताल। असल में ई.एस.आई. का एक कर्मचारी विक्टोरा टूल्स के काम करता है — फैक्ट्री आ कर एक्सीडेन्ट रिपोर्ट भरता है, प्रोविडेन्ट फण्ड का फार्म भी इसी से भरवाते हैं। मोटा-सा है, स्कूटर से आता है। बरसों से काम कर रहे मजदूर को एक्सीडेन्ट की स्थिति में एक्सीडेन्ट के दिन से दो-चार दिन पहले ई.एस.आई. में दिखाते हैं।

" काम का बोझ बहुत ज्यादा है। इनको तो बस उत्पादन चाहिए — प्रोडक्शन के लिये साहब बहुत चिक-चिक करते हैं। मशीन भी चलवाते हैं और हैल्परी भी करवाते हैं। कम्पनी ने आई.एस.ओ. ले रखा है और क्यू.एस.ओ. के लिये दौड़ रही है। दस-बारह साल पहले हफ्ते में एक गाड़ी माल मारुति जाता था जबकि अब कम्पनी के पास अपनी 2 कैन्टर हैं और सुबह-शाम दोनों गाड़ियाँ अप-डाउन करती हैं : कभी मारुति, कभी मार्शल, कभी फोर्ड। फैक्ट्री में कहीं बैठ कर खाना खाने की जगह तक नहीं है — अपनी-अपनी मशीन पर भोजन करना पड़ता है।

" भर्ती के समय मजदूर से 3-4 जगह हस्ताक्षर करवाते हैं जिनमें एक कोरा कागज भी होता है। उसके बाद तो तनखा पर भी वरकर से दस्तखत नहीं करवाते। पता चला है कि पट्टों को बुला कर एक-एक से बीस-तीस मजदूरों के टेढे-मेढे हस्ताक्षर रजिस्टर में करवा लेते हैं। नई भर्ती वालों को कम्पनी 1400-1450 और ठेकेदार 1300-1400 रुपये महीना तनखा देते हैं। विक्टोरा टूल्स के चेयरमैन-मैनेजिंग डायरेक्टर सतेन्द्र बाँगा और बेटा आसे बाबू हैं।

"पिछले साल अकाउन्ट्स मैनेजर ने कहलवा दिया था कि सन् 2000 से प्रोविडेन्ट फण्ड कटना बन्द हो गया है, जिसने अपना लेना है वह फार्म भरवा ले। इधर जिन्होंने नौकरी छोड़ी है या जिन्हें निकाला है उनके प्रोविडेन्ट फण्ड फार्म में उन्हें 31 अक्टूबर 2000 तक ही ड्युटी पर दिखाया है हालाँकि वे 2001 और 2002 में भी फैक्ट्री में काम करते रहे हैं। प्रोविडेन्ट फण्ड फार्म में विक्टोरा टूल्स कम्पनी लिख देती है कि 31.10.2000 को मजदूर ने नौकरी से इस्तीफा दे दिया!

"नौकरी से निकालते हैं तब सिर्फ फण्ड का फार्म भरते हैं और कहते हैं कि यही हिसाब है, लेना है तो ले लो नहीं तो जाओ। सर्विस-ग्रेच्युटी की राशि देने से कम्पनी साफ मना कर देती है।"

एस.पी.एल. वरकर : " प्लॉट 21-22 सैक्टर-6 स्थित फैक्ट्री में 2400 मजदूर हैं — 4 ठेकेदारों के जरिये रखे हैं। पी.एफ. और ई.एस.आई. के नाम पर हर महीने 320 रुपये तनखा में से काट लेते हैं। ई.एस.आई. कार्ड नहीं देते। प्रोविडेन्ट फण्ड की पर्ची भी नहीं देते, लिहाजा फण्ड का नम्बर पता नहीं चलता।

"फैक्ट्री में बहुत-सा काम पीस रेट पर होता है इसलिये जब माल नहीं मिलता तब खर्चा चलाना भारी हो जाता है। लिहाजा एस.पी.एल. की नौकरी छोड़नी पड़ जाती है। नौकरी छोड़ने पर पी.एफ. का फार्म भरवाने के लिये ठेकेदार बहाने बना कर पीछे-पीछे डुलाते हैं। दो-चार महीनों के फण्ड के लिये कौन इतने चक्कर लगाये? लिहाजा कई मजदूर सन्तोष कर लेते हैं और यह पैसे डूब जाते हैं।"

मजदूर समाचार में साझेदारी के लिये :
✱ अपने अनुभव व विचार इसमें छपवा कर चर्चाओं को कुछ और बढवाइये। नाम नहीं बताये जाते और अपनी बातें छपवाने के कोई पैसे नहीं लगते। ✱ बाँटने के लिये सड़क पर खड़ा होना जरूरी नहीं है। दोस्तों को पढवाने के लिये जितनी प्रतियाँ चाहियें उतनी मजदूर लाइब्रेरी से हर महीने 10 तारीख के बाद ले जाइये। ✱ बाँटने वाले फ्री में यह करते हैं। सड़क पर मजदूर समाचार लेते समय इच्छा हो तो बेझिझक पैसे दे सकते हैं। रुपये-पैसे की दिक्कत है।

महीने में एक बार छापते हैं, 5000 प्रतियाँ फ्री बाँटते हैं। मजदूर समाचार में आपको कोई बात गलत लगे तो हमें अवश्य बतायें, अन्यथा भी चर्चाओं के लिए समय निकालें।

कम्पनियाँ किसी की नहीं होती

गुडईयर टायर मजदूर : " कम्पनी की कुछ ज्यादा- ही सेवा करता संजीव सूद तेजी से पदों की सीढी चढ़ 1999 में मैनुफ़ैक्चरिंग डायरेक्टर बन गया। मण्डी की वेदी पर मजदूरों का रक्त चढाने में पुरोहिती करता प्रोडक्शन डायरेक्टर संजीव सूद अन्य दिनों की भाँति पहली अक्टूबर को फैक्ट्री पहुँचा। सुबह साढे आठ बजे अधिकारियों की मीटिंग में एक जूनियर अधिकारी ने गुडईयर हैड आफिस से ई- मेल से आया बर्खास्तगी फरमान प्रोडक्शन डायरेक्टर संजीव सूद को पकड़ाया। छत्तीस लाख की गाड़ी की चाबियाँ ड्राइवर से ले ली गई और आलीशान कार पर कवर चढा दिया गया। बीस साल से कम्पनी की सेवा कर रहे श्री संजीव सूद को उसी वक्त टैक्सी में फैक्ट्री से बाहर भेज दिया गया।

" पिछले साल गुडईयर में मानव संसाधन (एच आर) डायरेक्टर जे.एस. यादव के साथ भी यही हुआ था। गुडईयर में 1990 में 1688 परमानेन्ट मजदूरों की सँख्या को 2001 में 750 पर लाने में प्रमुख भूमिका निभाने वाले एच आर डायरेक्टर जे.एस. यादव को कम्पनी ने कहा कि और मजदूरों को नौकरी से निकालो। तब श्री जे.एस. यादव ने हाथ जोड़ दिये, 'अब और मजदूरों की बददुआ नहीं ले सकता, किसी एक को भी और नहीं निकाल सकता।' इस पर गुडईयर कम्पनी ने एच.आर. डायरेक्टर जे.एस. यादव को नौकरी से निकाल दिया।"

और बातें यह भी

सुलभ इन्टरनेशनल वरकर : " हम सड़कों पर झाड़ू लगाते फिर रहे हैं। तनखा 2250 रुपये महीना है पर साप्ताहिक छुट्टी लेने पर 250 रुपये काट लेते हैं। बीमार होने पर दवाई के लिये कोई पैसे नहीं देते – ई.एस.आई. है नहीं। हमारा प्रोविडेन्ट फण्ड भी नहीं है। वर्दी के नाम पर आधी बाजू का एक बुशशर्ट है जिस पर सुलभ इन्टरनेशनल लिखा रहता है। सुपरवाइजर दिन- भर टोकते हैं, बीड़ी पीना तक भारी कर देते हैं और महीने के 100 रुपये 'चन्दा' लेते हैं। नगर निगम का अधिकारी भर्ती करने के 500 रुपये लेता है। सुपरवाइजर दो- तीन महीने में निकलवा देता है और चक्कर कटवाने के बाद नगर निगम अधिकारी 500 रुपये ले कर फिर भर्ती करता है।"

इन्जेक्टो मजदूर : " लीडर कई महीनों से जबानी जमा- खर्च करते रहे और 4 महीनों की तनखायें कम्पनी ने नहीं दी। हम ने लीडरों को घेरना शुरू किया, उन्होंने हाथ खड़े कर दिये। दबाव के लिये वरकरों ने स्वयं कदम उठाया और 4 घण्टे काम बन्द कर दिया। कम्पनी ने 4 सितम्बर को मई की तनखा दी और कहा कि 15 सितम्बर को जून की दे देगी। लेकिन आज 19 सितम्बर तक हमें जून का वेतन नहीं दिया है।"

गुडईयर टायर वरकर : " 27 सितम्बर को सुबह काम से जान छूटी ही थी कि फैक्ट्री में रात की शिफ्ट और सुबह की शिफ्ट का साढे आठ बजे ब्रेनवाश कार्यक्रम शुरू हो गया जो कि साढे दस बजे तक चला। मैनुफैक्चरिंग डायरेक्टर संजीव सूद और मानव संसाधन जनरल मैनेजर रॉबिन सिंह हिन्दी में बोले, चेयरमैन- मैनेजिंग डायरेक्टर सैण्डविच अंग्रेजी में बोले (हिन्दी अनुवाद रॉबिन सिंह ने किया)। सब का गाना एक ही था : घाटा, घाटा, घाटा। इधर के आँकड़े, उधर के आँकड़े। मण्डी में होड़, तेल के दाम बढ गये .... और आखिर में, 'घर जा कर ठण्डे दिमाग से सोचिये; अपने मित्रों से पूछिये; अपने परिवार से पूछिये; इन हालात में कम्पनी पर और वित्तीय बोझ डालना ठीक रहेगा क्या?' दरअसल, कम्पनी हम से और कुर्बानी माँग रही है। मजदूरों की बलि पर बलि देने के बावजूद पिछले साल मैक्सिको, आस्ट्रेलिया आदि में 5 गुडईयर फैक्ट्रियाँ बन्द हो गई। मण्डी किसी महाबली को नहीं पहचानती और कितनी भी कुर्बानियाँ दो पर मण्डी का खप्पर भरता नहीं।"

सरकारी और प्रायवेट

गुडईयर टायर मजदूर : " मोडिफिकेशन परिवर्तन के नाम पर कम्पनी में अनाप- शनाप खर्चे होते हैं। फैक्ट्री में ए से आई तक टायर पकाने की प्रेस लाइनें हैं। जी- लाइन में 8 प्रेसों में ट्रक के टायर पकते थे। आदेश हुआ कि इस लाइन पर ट्रैक्टरों के टायर पकाने हैं। कहा गया कि ट्रैक्टर टायर बड़े होते हैं, जी- लाइन के गियर बॉक्स बदलने होंगे। इस वर्ष जनवरी- फरवरी में ढाई करोड़ रुपये के नये गियर बॉक्स मँगवा लिये गये। जबकि, ट्रैक्टर टायर पकाने का काम ट्रक टायर वाले पुराने गियर बॉक्सों से ही सुचारू रूप से हो रहा है। ढाई करोड़ रुपये में नये लाये गये 8 गियर बॉक्स कबाड़ा होने का इन्तजार कर रहे हैं।

" ई- लाइन में 14 प्रेस ट्रैक्टर टायर पकाने की हैं। इन्हें ट्रक टायर पकाने के लिये परिवर्तित करने का ऊपर ही ऊपर 70 लाख रुपये का प्रोजेक्ट बन गया। एक अधिकारी ने शॉप फ्लोर के दौरे के दौरान मेन्टेनैन्स मैनेजर से सामान्य चर्चा में इस परिवर्तन की बात की। इस पर मेनटेनैन्स मैनेजर ने कहा कि इसमें तो एक पैसा भी खर्च नहीं होगा – मात्र मोल्ड बदल कर नट- बोल्ट कसने हैं। यह 70 लाख रुपये वाली बात हमें तब पता चली जब प्रोडक्शन डायरेक्टर ने मजदूरों के बीच मेन्टेनैन्स मैनेजर को कहा, 'मोटे तुझे देख लूँगा।' "

मुम्बई से

★ मैं, सुनील कुमार, विगत पाँच वर्षों से मुम्बई में सेनापति बापट मार्ग, दादर स्थित सब्जी मण्डी में धन्धा करता हूँ। यहाँ पर हम लोग महानगरपालिका को टैक्स देते हैं। मुम्बई हाई कोर्ट ने हम लोगों के लिये सुबह 8 बजे तक धन्धे का समय निर्धारित किया हुआ है। फिर भी महानगरपालिका की गाड़ी सुबह 6-7 बजे के बीच आ जाती है और माल सहित मौजूद आदमी को पकड़ कर ले जाती है तथा 1200 रुपये जुर्माना थोप देती है। पुलिस वाले भी हमें बहुत परेशान करते हैं। हफ्ता माँगते हैं और न देने पर पकड़ कर बन्द कर देते हैं।

★ रीना गारमेन्ट, मुम्बई में मैं एक कारीगर हूँ। काम शर्ट का होता है। मैं पिछले दो माह से काम कर रहा था। उस समय सेठ के पास काम कुछ कम था फिर भी मुझे रात साढे नो बजे तक काम करना पड़ता था। कम्पनी को ज्यादा काम मिला तो बगैर बताये मुझे निकाल दिया। सुबह जब मैं गया तो मेरी मशीन पर दूसरा कारीगर काम कर रहा था। हिसाब माँगने पर सेठ मुझे बोला कि हफ्ते- दस दिन बाद आओ।

—संजय, सायन, मुम्बई

ओखला से

★ मैं, अनिल कुमार, रिपेयर के कारीगर के पद पर स्काईलार्क एक्सपोर्ट, 95/बी/1 सन्तनगर में 31.8.02 को काम पर लगा। उसी दिन मेरी नाइट लग गई। करीब 11 बजे मैं टॉयलेट के लिये बाहर निकला तो देखा कि कम्पनी इन्चार्ज विजय कुमार बाहर खड़ा गार्ड से बात कर रहा था। मेरी समझ में नहीं आया। मैं बोला, क्या हुआ भइया तो वो बोला, भइया किसे कहते हैं। मैं नजरअन्दाज करके चला गया। बाद में वो गाली भी मुझे दिया। किसी बवाल से बचने के लिये अनसुना कर दिया। टॉयलेट से वापस आया तो वह वहीं पे खड़ा था। बगैर किसी अवरोध के दो थप्पड़ जड़ दिया। बीचबचाव में आबिद नाम के चैकर ने कहा कि अब चले जाओ, छुट्टी हो गई। 12 बजे की नाइट लगती है। गेट पास माँगने पर बड़ी मुश्किल से गेट पास दिया। दूसरे दिन काम पर आने के लिये मना कर दिया। तीन दिन बाद फिर गया। चार- पाँच दिन बाद छँटनी कर दिया गया। इसमें 54 वरकर मन्थली पे बाकि 20 दिहाड़ी पर थे जिनमें से 50 प्रतिशत बन्दों की छँटनी कर दी। नब्बे रुपये दिहाड़ी पर लेबर काम करते थे। सण्डे को भी छुट्टी नहीं देते। इसी तरह तीन महीनों में करीब 7 कम्पनियों की छँटनी की गाज हम पर गिरी। मैं चक्की के दो पाटों के बीच फँसा हूँ। काम मिल नहीं रहा है। आर्थिक स्थिति नाजुक है। मानसिक उलझन में फँसा हूँ।

**डाक पता : मजदूर लाईब्रेरी,
आटोपिन झुग्गी,
एन.आई.टी. फरीदाबाद—121001**

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक एवं सम्पादक शेर सिंह के लिए जे० के० आफसैट दिल्ली से मुद्रित किया। **RN 42233** पोस्टल रजिस्ट्रेशन **L/HR/FBD/73**
सौरभ लेजर टाइपसैटर्स, बी—546 नेहरु ग्राउंड, फरीदाबाद द्वारा टाइपसैट।